रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/93 REGD. NO. D.L.-33004/93

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 618] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 14, 1993/आश्विन 22, 1915
No. 618] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 14, 1993/ASVINA 22, 1915

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अक्तूबर, 1993

का आ 800(अ) —राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सामान्य सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है —

आदेश

जबकि डा सी रंगराजन ने वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) में भारत सरकार की अधिसूचना सं का आ 431(अ), दिनांक 15 जून, 1992 के साथ प्रकाशित आदेश द्वारा गठित वित्त आयोग के सदस्य के रूप में त्यागपत्र दे दिया है,

और जबकि राष्ट्रपति ने डा. सी. रंगराजन का उक्त त्यागपत्र 21 दिसम्बर, 1992 से सहर्ष स्वीकार कर लिया है ;

अतः अब, वित्त आयोग (विविध उपबन्ध) अधिनियम, 1951 (1951 का 33) की धारा 3 से 6 के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 के उपबन्धों के अनुपालन में, राष्ट्रपति, डा. सी. रंगराजन के स्थान पर श्री मनु श्राफ को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 30 नवम्बर, 1993 तक वित्त आयोग के सदस्य के रूप में सहर्ष नियुक्त करते है ।

2. श्री मनु श्राफ वित्त आयोग के सदस्य के रूप मे अंश-कालिक सेवा प्रदान करेंगे ।

शंकर दयाल शर्मा, भारत के राष्ट्रपति

14 अक्तूबर, 1993

[सं. एफ. 10(1)-बी. (एस.)/93]
एन. पी. बागची, अपर सचिव (बजट)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th October, 1993

S.O. 800(E).—The following Order made by the President is published for general information :—

ORDER

Whereas Dr. C. Rangarajan had resigned as Member of the Finance Commission constituted by the Order published with the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) No. S.O. 431(E), dated the 15th June, 1992 ;

And whereas the President has been pleased to accept the said resignation of Dr. C. Rangarajan w.e.f. 21st December, 1992;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of article 280 of the Constitution of India, read with Sections 3 to 6 of the Finance Commission (Miscellaneous Provisions) Act, 1951 (33 of 1951), the President is pleased to appoint Shri Manu Shroff as Member of the Finance Commission, in place of Dr. C. Rangarajan, with effect from the date on which he assumes office up to the 30th day of November, 1993.

2. Shri Manu Shroff shall render part-time service as Member of the Finance Commission.

S. D. SHARMA, President of India

14th October, 1993

[F. No. 10(1)-B(S)/93]

N. P. BAGCHEE, Addl. Secy. (Budget)

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1993